(b) the details are as under:

Year	Expenditure incurred on construction and maintenance of N.Hs. (Rs. in crores)
1995-96	52.30
1996-97	59.46
1997-98	92.67

मध्य प्रदेश और गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण

1533. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी व निरीक्षण हेतु सरकार का कोई प्रतिनिधि है;

(ख) यदि हां, तो उनकी भूमिका और दायित्वों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत और अनुरक्षण कार्य की निगरानी रखने और निरीक्षण करने के लिए राज्यों के विभिन्न भागों का दौरा करना प्रतिनिधि का दायित्व है; और

(घ) यदि हां, तो विदिशा और नरसिंहगढ़ के कितने दौरे किए गए और ये दौरे कब किए गए?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां। मंत्रालय का मध्य प्रदेश में भोपाल में तथा गुजरात में गांधीनगर में क्षेत्रीय कार्यालय है। प्रत्येक कार्यालय का प्रमुख एक अधीक्षण अभियंता है जो क्षेत्रीय अधिकारी कहलाता है।

(ख) क्षेत्रीय अधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारी संलग्न विवरण में दी गई हैं **(नीचे देखिए)**

(ग) जी हां। क्षेत्रीय अधिकारी को राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों कार्यों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना पड़ता है।

(घ) कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग विदिशा से होकर नहीं गुजरता है अतः निरीक्षण हेतु उस स्थान का दौरा करने का प्रश्न नहीं उठता। राष्ट्रीय राजमार्ग-12 नरसिंहगढ़ से होकर गुजरता है। सन् 1998-99 के दौरान भोपाल, नरसिंहगढ़ और ब्यौर के बीच क्रमशः 5.5.98 से 6.5.98। 31.7.98, 3.9.98 और 25.9.98 को चार निरीक्षण किए गए।

विवरण

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) के क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात क्षेत्रीय अधिकारियों (सी ई अथवा एस ई) के कर्तव्य और जिम्मेदारियां

क्षेत्रीय अधिकारी आयोजना, फील्ड जांच, विस्तृत परियोजना तैयार करने, राष्ट्रीय राजमार्गों पर मूल कार्यों के कार्यान्वयन और केन्द्र द्वारा वित्त पोषित अन्य स्कीमों के तहत रख-रखाव कार्यों के संबंध में राज्य लो०नि०वि० को प्रभावी सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से भारत सरकार, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे।

वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर तकनीकी दृष्टि से बेहतर और आर्थिक रूप से व्यवहार्य सड़क एवं पुल परियोजनाएं तैयार करने के लिए आयोजना, विस्तृत स्थल जांच, सर्वेक्षण अवमृदा जांच, मृदा तथा जलराशि आंकड़े एकत्र करने तथा केन्द्र द्वारा वित्त पोषित स्कीमों के मामले में राज्य लो०नि०वि० के साथ पूरा तालमेल रखेंगे। (विस्तृत मार्गनिर्देशों के लिए मंत्रालय का परिपत्र सं० एन एच-III/पी/312/77 दिनांक 12.8.85 देखें।

वह सड़कों के सीरेखण, पुलों के लिए स्थल का चयन करने, बाढ़ से बचाव हेतु उचित कदम उठाने उपलब्ध स्थानीय सामग्री के आधार पर उपयुक्त निर्माण विधि और प्रक्रिया के इस्तेमाल के बारे में राज्यों के लो०नि०वि० को तकनीकी सलाह देगा। वह सड़कों के डिजाइन तैयार करने और उन पर स्ट्रक्चर बनाने के मामले में सभी प्रकार की आवश्यक मदद करेगा।

वह राज्यों द्वारा परियोजित सड़क और पुल कार्यों के बारे में विस्तृत अनुमान (एफ डी आर, एस आर और संशोधित) की जांच करेगा और डिजाइन, स्थल की स्थिति, सीरेखण, निर्माण सामग्री, विशिष्टियों, लीड्स और निर्माण के वास्तविक तथा वित्तीय शैड्यूल जैसे अन्य आवश्यक सहायक आंकड़े पर अपनी टिप्पणियां महानिदेशक (स०वि०) के पास भेजेगा। यदि मूल अनुमान के संबंध में कोई मुद्दा विशेष तौर पर महानिदेशक (स०वि०) के ध्यान में लाने की आवश्यकता हो तो मंत्रालय की तरफ से उन विशिष्ट मुद्दों पर टिप्पणियां की प्रतीक्षा किए बगैर इसका विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए।

वह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव संबंधी सभी मामलों और केन्द्र द्वारा वित्तपोषित सड़कों में अन्य सुधार कार्यों के संबंध में राज्य सरकार/राज्य लो०नि०वि० के साथ संपर्क बनाए रखेगा।

वह नियमित निरीक्षण के जरिए केंद्र द्वारा वित्त पोषित सभी सड़क और पुल कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा ताकि कारगर गुणता नियंत्रण बनाए रखा जा सके तथा स्वीकृत कार्य समय पर पूरे हो सके जिससे समय वृद्धि और लागत वृद्धि अथवा संस्वीकृत विशिष्टियों से यथा संभव बचा जा सके।

वह परियोजनाओं की संस्वीकृति के बाद भूमि पर संस्वीकृत कार्यों के शीघ्र निष्पादन के लिए राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा एजेंसी के तत्काल निर्धारण के बारे में अपेक्षित निगरानी रखेगा। वह निविदाकर्ताओं की पूर्व-अर्हता के लिए इस विषय पर मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को भी मानीटर करेगा। वह (कार्यों के शीघ्र निष्पादन में आने वाली अड़चनों का उल्लेख करते हुए) केन्द्र द्वारा वित्त-पोषित कार्यों की प्रगति को भी मानीटर करेगा तथा मंत्रालय को निर्धारित आरूप में तिमाही रिपोर्ट भेजेगा (कृपया मंत्रालय का दिनांक 5.9.94 का पत्र सं० आर डब्ल्यू/एन एच-III/पी/26/84 देखें)।

वह यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य लोक निर्माण विभाग की फील्ड इकाइयां नियमित रूप से सड़क और पुल रजिस्टर तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए यातायात गणना आंकड़े रखें, साथ में यह सावधानी भी रखी जाए कि उन्हें नियमित रूप से अद्यतन किया जाता रहे।

वह यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य लोक निर्माण विभागों के संबंधित प्राधिकारी निर्धारित समय-सारणी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव संबंधी संक्षिप्त विवरण सड़क पक्ष को प्रस्तुत करें।

वह इस बात पर नजर रखेगा कि राज्य लोक निर्माण विभाग सड़क पक्ष द्वारा अनुमोदित विशिष्ट कार्यक्रमों के अनुसार अनुरक्षण एवं मरम्मत अनुदान का उपयोग करें। इस कार्य के लिए, वह (प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में) अपने अधिकार क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर किलोमीटर अनुमोदित करेगा जहां पर आगामी वित्त वर्ष के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग को दी जाने वाली संभावित निधियों के अनुसार आवधिक नवीकरण के कार्य किए जाने हैं। इसके साथ ही वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए जाने वाले आवश्यक पुल मरम्मत से संबंधित विशिष्ट कार्य भी अभिनिर्धारित करेगा।

वह राज्य प्राधिकारियों से संपर्क बनाए रखकर यह सुनिश्चित करेगा कि संसद प्रश्नों, संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति से जुड़ी मदों, लोक लेखा समिति संबंधी मामलों और लेखापरीक्षा पैरा तथा महालेखाकार की टिप्पणियों के संबंध में राज्य से मांगी गई सभी रिपोर्टें/सूचना तत्काल पूर्ण रूप से सड़क पक्ष को प्रस्तुत कर दी जाएं।

वह यह सुनिशिचत करेगा कि राज्य लोक निर्माण विभाग निर्धारित अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के विहित यातायात गणना आंकड़ों का नियमित रूप से और समय पर अवलोकन करे और सड़क पक्ष को प्रस्तुत करे और इस संदर्भ में वह उचित यातायात गणना केन्द्रों को अपनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों में अपने आप को सम्मिलित करेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अवलोकन की गई तथा रिपोर्ट की गई यातायात संख्या ठीक और विश्वसनीय है, वह कभी-कभार अपने स्टाफ का सहयोग भी लेगा।

सड़क और पुल से संबंधित 10 लाख रु० प्रत्येक से कम लागत वाले मूल कार्यों के लिए (जिनके लिए मंत्रालय के केवल प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है) क्षेत्रीय अधिकारी मंत्रालय के दिनांक 12 दिसम्बर, 1984 के पत्र सं० आर डब्ल्यू/एन एच-III/कोआई/34/84 में निर्धारित की गई प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।

वह मौजूदा पेचमेंट पर सुदृढ़ीकरण/घुटाई परत डालने से पूर्व आवश्यक लेवलिंग परत के विस्तार का उचित मूल्यांकन करने के लिए (सड़क कार्य के प्रारंभिक चरणों में ही) शामिल होगा।

वह राज्य लोक निर्माण विभागों अथवा अनुसंधान केन्द्रों अथवा इंजीनियरी संस्थानों इत्यादि जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों से संपर्क साधकर मंत्रालय की अनुसंधान स्कीमों की प्रगति को मॉनीटर भी करेगा।

वह रफोमीटर के प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क निर्माण की गुणता को मॉनीटर करेगा जैसाकि मंत्रालय के दिनांक 15.5.85 के पत्र सं० एन एच-III-पी/10/84 में निर्धारित किया गया है।